



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 675]	नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 18, 2019/कार्तिक 27, 1941
No. 675]	NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 18, 2019/KARTIKA 27, 1941

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2019

आय-कर

सा.का.नि. 858(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड और 194ढ के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (चौदहवां संशोधन) नियम, 2019 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- आयकर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 30 में, ---
(क) उपनियम (2ख) के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(2ग) उपनियम (1) या उपनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, धारा 194 ड के अधीन कटौती की गई कोई रकम मास के अंत से, जिसमें कटौती की गई है तीस दिनों की अवधि के भीतर केंद्रीय सरकार की जमा खाता में संदाय किया जाएगा और प्ररूप सं. 26थघ में चालान-सह-विवरण के साथ संगत होगा।”

(ख) उपनियम (6ख) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(6ग) जहां कर की कटौती प्ररूप सं. 26थघ में चालान-सह-विवरण के साथ जमा किया जाना है, वहां इस प्रकार कटौती की गई रकम को उप-नियम (2ग) में भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक में विनिर्दिष्ट समय के भीतर इलैक्ट्रानिक रूप से प्रेषित करके केंद्रीय सरकार के खाते में जमा किया जाएगा।”

3. मूल नियम के नियम 31 के उपनियम (3ख) के पश्चात्, निम्नलिखित उप नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(3ग) उपनियम (1) या उपनियम (2) या उपनियम (3) में किसी बात के होते हुए भी, धारा 194ड के अधीन कर की कटौती के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति, मुख्य महानिदेशक आयकर (प्रणाली) या महानिदेशक आयकर (प्रणाली) या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट वेब पोर्टल पर उसे उत्पादक या डाउनलोड करने के पश्चात् नियम 31क के अधीन प्ररूप सं. 26थघ में चालान-सह-विवरण देने के लिए नियत तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर पाने वाले को प्ररूप सं. 16घ में स्रोत पर कर की कटौती का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा।”

4. मूल नियम के नियम 31क के उपनियम (4) में, खंड (viii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(ix) धारा 194ड के परंतुक के खंड (iii) या खंड (iv) में उपबंधित छूट को ध्यान में रखते हुए या धारा 194ड के परंतुक के खंड (v) के अधीन जारी अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए संदत्त या जमा की गई रकम की विशिष्टियां देगा, जिस पर कर की कटौती नहीं की गई थी।”

5. मूल नियम के नियम 31क में उपनियम (4ख) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(4ग) उपनियम (1) या उपनियम (2) या उपनियम (3) या उपनियम (4) में किसी बात के होते हुए भी, धारा 194ड के अधीन कर की कटौती के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति, मुख्य महानिदेशक आयकर (प्रणाली) या महानिदेशक आयकर (प्रणाली) या मुख्य महानिदेशक आयकर (प्रणाली) या महानिदेशक आयकर (प्रणाली) द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को माह के अंत से पंद्रह दिनों के भीतर जिसमें कटौती की गई है, उपनियम (5) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया, रूप विधान और मानक के अनुसरण में इलैक्ट्रानिक रूप से प्ररूप सं. 26थघ एक चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करेगा।”

6. मूल नियम के परिशिष्ट II में, --

(क) प्ररूप सं. 16ग के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

प्ररूप सं. 16घ					
[नियम 31(3ग) देखिए]					
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के अधीन स्रोत पर कर की कटौती का प्रमाणपत्र					
प्रमाणपत्र सं.			अंतिम बार अद्यतन की गई		
कटौतीकर्ता का नाम और पता			कटौती किए जाने वाले व्यक्ति का नाम और पता		
कटौतीकर्ता का पैन/आधार संख्यांक			कटौती किए जाने वाले व्यक्ति का पैन/आधार संख्यांक		कटौती का वित्तीय वर्ष
संव्यवहार का संक्षिप्त विवरण					
क्रम सं.	विशिष्ट पहचान सं.	संदाय की प्रकृति	संदत्त/जमा की गई रकम	संदत्त/जमा की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत कटौती और जमा किए गए कर की रकम
कुल (रुपये)					
केंद्रीय सरकार के खाते में जमा किए गए कर का व्यौरा, जिसके लिए प्रत्यय कटौती किए जाने वाले व्यक्ति को दिया जाना है					
क्रम सं.	कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत जमा किया गया कर की रकम (रु.)		चालान पहचान संख्यांक		
			बैंक शाखा का वीएसआर कोड	वह तारीख जिसको कर जमा किया गया (दिन/मास/वर्ष)	चालान क्रम संख्यांक
1					
2					

कुल (रुपया)		
सत्यापन		
मैं....., पुत्र/पुत्री..... जो (पदनाम) की हैसियत में कार्य कर रहा/रही हूँ..... यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि..... रुपये (रुपये शब्दों में) की राशि की कटौती की गई है और केंद्रीय सरकार के खाते में संदत्त की गई है। मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त दी गई जानकारी, लेखा पुस्तकों, दस्तावेजों और कर की कटौती का चालान-सह-विवरण आधार पर सही और ठीक है।		
स्थान		(कर की कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर)
तारीख		पूरा नाम

(ख) प्ररूप संख्या 26थ में, --

(i) कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षरों के स्थान पर

“[धाराएं 193, 194, 194क, 194ख, 194खख, 194ग, 194घ, 194ङ.ड., 194च, 194छ, 194ज, 194झ, 194ञ, 194ठक और नियम 31क देखें]

आयकर अधिनियम, की धारा 200 की उपधारा (3) के अधीन (जून/सितंबर/दिसंबर/मार्च)..... (वित्तीय वर्ष) को समाप्त होने वाले तिमाही के वेतन से भिन्न संदायों की बाबत कर की कटौती का तिमाही विवरण) ”

के स्थान पर निम्नलिखित कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे

“[धाराएं 192क, 193, 194, 194क, 194ख, 194खख, 194ग, 194घ, 194घक, 194ङ.ड., 194च, 194छ, 194ज, 194झ, 194ञ, 194ट, 194ठक, 194ठखक, 194ठखख, 194ठखग, 194ढ और नियम 31क देखें]

आयकर अधिनियम की धारा 200 की उपधारा (3) के अधीन (जून/सितंबर/दिसंबर/मार्च)..... (वित्तीय वर्ष) को समाप्त होने वाले तिमाही के वेतन से भिन्न संदायों की बाबत कर की कटौती का तिमाही विवरण) ”

(ii) शब्द “कटौतीकर्ता” के स्थान पर जहां कहीं भी वे आते हैं शब्द “कटौतीकर्ता/संदायकर्ता” रखा जाएगा ;

(iii) शब्द “कटौतीकर्ताओं” के स्थान पर जहां कहीं भी वे आते हैं शब्द “कटौतीकर्ताओं/संदायकर्ताओं” रखे जाएंगे ;

(iv) मद संख्या 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“5. संदत्त रकम और कटौती किए जाने वाले व्यक्ति से कटौती किए गए कर का ब्यौरा और कटौती किए बिना संदत्त रकम (उपाबंध देखें).”;

(v) “उपाबंध” के स्थान पर निम्नलिखित “उपाबंध” रखे जाएंगे, अर्थात्:-

“उपाबंध – स्रोत पर कर कटौती का कटौतीदार/पाने वाला वार ब्यौरा”
(कृपया मुख्य प्ररूप 26थ के क्रम सं. 04 की सारणी में प्रत्येक लाइन-मद के लिए पृथक उपाबंध
का प्रयोग करें)
(दिन/मास/वर्ष) को समाप्त होने वाले तिमाही के दौरान संदत्त रकम/जमा की गई रकम के
 ब्यौरे और स्रोत पर कर कटौती के ब्यौरे

शाखा का बीएसआर कोड/प्ररूप 24छ की प्राप्ति सं.	
चालान जमा करने की तारीख/अंतरण वाउचर तारीख (दिन/मास/वर्ष)	
चालान क्रम संख्या/प्ररूप 24छ डीडिओ क्र.सं.	
चालान के अनुसार रकम	
उध्वाधर रूप में स्तंभ 421 में कटौतीदारों/पाने वालों के बीच आबंटनीय कुल कर	
नीचे उल्लिखित कटौतीकर्ता/पानेवालों के बीच आबंटनीय कुल व्याज	

कटौतीकर्ता/पानेवाला का नाम	
टैन	

क्रम सं.	कटौतीकर्ता/पाने वाला द्वारा दिया गया कटौतीदार/संदायकर्ता का संदर्भ सं., यदि उपलब्ध हो	कटौतीकर्ता/ पाने वाला का कोड (01-कंपनी, 02-कंपनी से भिन्न)	कटौतीदार का पैन	कटौतीकर्ता/ पाने वाला का नाम	सेक्शन कोड (टिप्पण 7 देखें)	संदाय या जमा की तारीख	संदाय या जमा रकम	धारा 194ड में निर्दिष्ट 1 करोड़ रुपये से अधिक निकाली गई रकम	कुल कर की कटौती	कुल जमा रकम	कटौती की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	दर जिससे कटौती की गई है	कटौती न करने/कम कटौती करने/उच्च कटौती करने परिवाहक के कारण (टिप्पण 1-7 देखें)	धारा 197 के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा कटौती न करने/कम कटौती करने के लिए जारी किए गए प्रमाणपत्रों की संख्या
[412]	[413]	[414]	[415]	[416]	[417]	[418]	[419]	[419क]	[420]	[421]	[422]	[423]	[424]	[425]
1														
2														
3														
कुल														

सत्यापन

मैं, सत्यापित करता हूं कि ऊपर दी गई सभी विशिष्टियां सही और पूर्ण हैं।

स्थान:

तारीख:

स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर
 कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और पदनाम

टिप्पण:

1. "क" लिखें, यदि धारा 197 के अधीन प्रमाणपत्र के मद्दे "कम कटौती की गई है" या "कटौती" नहीं की गई है।
2. "ख" लिखें, यदि धारा 197क के अधीन घोषणा के मद्दे कोई कटौती नहीं की गई है।
3. "ग" लिखें, यदि कटौतीदार/पाने वाला द्वारा पैन न प्रस्तुत करने के मद्दे उच्च दर पर कटौती की गई है।
4. "म" लिखें, यदि आयकर अधिनियम 1961 में विनिर्दिष्ट थ्रेशहोल्ड सीमा से नीचे संदाय के मद्दे कोई कटौती नहीं की गई है।
5. "न" लिखें, यदि परिवाहक होने पर कटौतीदार/पाने वाला के मद्दे कोई कटौती नहीं की गई है। कटौतीदार का पैन आवश्यक है (धारा 194ग(6))
6. "य" लिखें, यदि धारा 197क(1च) के अधीन अधिसूचित संदाय के मद्दे कोई कटौती नहीं की गई है।
7. "ड" लिखें, यदि धारा 194ड के परंतुक के खंड (iii) या खंड (iv) में या धारा 194ड के परंतुक के खंड (v) के अधीन जारी अधिसूचना के अनुसार निर्दिष्ट व्यक्ति को संदाय मद्दे कोई कटौती नहीं की गई है।

8. धारा कोड की सूची निम्नानुसार है.

धारा	संदाय की प्रकृति	धारा कोड
192क	कर्मचारी पर देय संचित अतिशेष का संदाय	192क
193	प्रतिभूतियों पर 193 ब्याज	193
194	लाभांश	194
194क	प्रतिभूतियों पर ब्याज से भिन्न ब्याज	94क
194ख	लाटरियों और क्रासवर्ड पजल्स से जीती हुई रकम	94ख
194खख	घुड़दौड़ से जीती हुई रकम	4खख
194ग	संविदाकार और उप संविदाकार को संदाय	94ग
194घ	बीमा कमीशन	94घ
194ङ.ङ.	राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अधीन जमा से संबंधित संदाय	4घक
194 च	म्युचुअल फंडों या यूटीआई की यूनिटों के पुनःक्रय की बाबत संदाय	4ङ.ङ.
194छ	लाटरी टिकटों के विक्रय पर कमीशन, पुरस्कार आदि	94च
194ज	कमीशन या दलाली	94ज
194- झ(क)	किराया	4-झक
194-झ (ख)	किराया	4-झख
194ञ	वृत्तिक या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस	94ञ
194ठक	कतिपय स्थावर संपत्ति के अधिग्रहण पर प्रतिकर का संदाय	4ठक
194ठख क	व्यावसायिक न्यास की इकाई से निश्चित आय	4खक
194ठख	विनिधान निधि की इकाई की बाबत आय	ठखख
194ठखग	प्रतिभूतिकरण न्यास में विनिधान की बाबत आय	ठखग
194ढ	कुछ नकद रकमों का संदाय	94ढ

(ग) प्ररूप सं. 26थग के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

***प्ररूप सं.26थघ**

[धारा 194ड, नियम 30(2ग), नियम 30(6ग) और नियम 31क (4ग)देखें]

धारा 194ड के अधीन कर की कटौती का चालान-सह-चाला-सह-विवरण

वित्तीय वर्ष	-	दीर्घ शीर्ष कोड*			लघु शीर्ष कोड*			
स्थायी खाता संख्या (पैन) या कटौतीकर्ता का आधार संख्यांक								
कटौतीकर्ता का पूरा नाम*								
कटौतीकर्ता का पूरा पता								
मोबाइल सं.			ई-मेल आईडी			पिन		
स्थायी खाता संख्या (पैन) या कटौतीकर्ता का आधार संख्यांक								
पैन के प्रवर्ग*				पैन की प्रास्थिति				
कटौतीकर्ता का पूरा नाम*								
कटौतीकर्ता का पूरा पता								
						पिन		
मोबाइल सं.						मोबाइल सं.		
संदाय की प्रकृति (वृत्तिक सेवाओं के लिए संविदा/कमीशन/दलाली या फीस के अनुसरण में कार्य)								

संविदा/करार की तारीख**		1 अप्रैल, से आरंभ होने वाली और उस मास, जिसमें संदाय किया गया है/जमा किया गया है, की समाप्ति तक की अवधि के दौरान संदाय जमा का योग			
यदि धारा 197 के अधीन गैर कटौती / निम्न कटौती के मद्दे प्रमाण पत्र का मामला है ?(कृपया हां या नहीं चिन्ह लगाएं)		निर्धारण अधिकारी द्वारा गैर कटौती या निम्न कटौती के लिए धारा 197 के अधीन जारी प्रमाण पत्र की संख्या			
संदत्त /जमा की गई रकम (रुपए में)		संदाय/जमा की तारीख**	वह दर जिस पर कटौती की गई	स्रोत पर कटौती किए गए कर की रकम	कटौती की तारीख**
जमा की तारीख**			जमा का ढग	साथ-साथ ई-कर सदाय	
				पश्चात्त्वर्ती तारीख को ई-कर सदाय	
स्रोत पर कटौती किए गए कर के सदाय के ब्यौर (रुपए में रकम)					
टीडीएस (आयकर) कटौतीदार को इस रकम के लिए कर, प्रत्यय दिया जाएगा)					
ब्याज					
फीस					
कुल सदाय					
शब्दों में कुल सदाय (रुपए)					
करोड़	लाख	हजार	सैकड़ा	दहाई	इकाई

* स्वतः अद्यतन किया जाए।

** दद/मम/वव रूप विधान में।”।

(घ) प्ररूप 27थ में, -

(i) "[धारा 194ड., धारा 194ठख, धारा 194ठखक, धारा 194ठखख, धारा 194ठखग, धारा 194ठग, धारा 195, धारा 196क, धारा 196ख, धारा 196ग, धारा 196घ और नियम 31क देखिए]

आय कर अधिनियम की धारा 200 की उपधारा (3) के अधीन ———(जून/सितंबर/दिसंबर/मार्च) ———(वित्तीय वर्ष) को समाप्त होने वाली तिमाही को अनिवासियों के वेतन से भिन्न संदायों की बाबत कर की कटौती का तिमाही विवरण" कोष्ठकों, शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर निम्नलिखित कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे-

"[धारा 192क., धारा 194ड., धारा 194ठख, धारा 194ठखक, धारा 194ठखख, धारा 194ठखग, धारा 194ठग, धारा 194ठघ, धारा 194ढ, धारा 195, धारा 196क, धारा 196ख, धारा 196ग, धारा 196घ और नियम 31क देखिए]

आय कर अधिनियम की धारा 200 की उपधारा (3) के अधीन ———(जून/सितंबर/दिसंबर/मार्च) ———(वित्तीय वर्ष) को समाप्त होने वाली तिमाही को अनिवासियों के वेतन से भिन्न संदायों की बाबत कर की

कटौती का तिमाही विवरण";

(ii) "कटौतीकर्ता" शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर "कटौतीकर्ता/संदायकर्ता" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) "कटौतीकर्ताओं" शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर "कटौतीकर्ताओं/संदायकर्ताओं" शब्द रखे जाएंगे;

(iv) मद सं. 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"5. संदत्त रकम और कटौतीदारों से उन पर काटा गया कर तथा बिना कटौती संदत्त रकम (उपाबंध देखिए)"

(v) "उपाबंध" के स्थान पर निम्नलिखित "उपाबंध" रखा जाएगा, अर्थात्:-

“उपाबंध- स्रोत पर कर कटौती का कटौतीदार/आदाता वार ब्यौरा

(कृपया मुख्य प्ररूप 27थ के क्रम सं. 4 की सारणी में प्रत्येक पंक्ति –मद के लिए पृथक उपाबंध का प्रयोग करें)

----- (दिदि/मम/वववव) को समाप्त होने वाले तिमाही के दौरान संदत्त रकम/जमा की गई रकम और स्रोत पर कर कटौती के ब्यौरे

शाखा का बीएसआर कोड/प्ररूप 26छ की पावती संख्या	
चालान जमा करने की तारीख/अंतरण वाउचर तारीख (दिदि/मम/वववव)	
चालान क्र.सं. /प्ररूप 24छ डीडिओ क्रम सं.	
चालान के अनुसार रकम	
उध्वाधर रूप में स्तंभ 726 में कटौतीदारों के बीच आबंटनीय कुल टीडीएस	
नीचे उल्लिखित कटौतीदारों/आदाताओं के बीच आबंटनीय कुल ब्याज	

कटौतीकर्ता/संदायकर्ता का नाम	
टैन	

क्र.सं.	कटौतीकर्ता / संदायकर्ता द्वारा दिया गया कटौतीदार / आदाता का संदर्भ संख्या, यदि कोई हो	कटौतीदार का कोड (01-02- अन्य, कंपनी से भिन्न)	कटौतीदार / आदाता का पैर (टिप्पण 6 देखें)	कटौतीदार/ आदाता का नाम	सेक्शन कोड (टिप्पण 5 देखें)	संदाय या जमा करने की तारीख (दिदि/मम/ वववव)	संदल या जमा की गई रकम	धारा 194ड में यथा निर्दिष्ट 1 करोड़ रुपए से अधिक निकासी की रकम	कर	अधिभार	शिक्षा उपकर	कुल कर कटौती (723+ 724+ 725)	कुल जमा कर	कटौती की तारीख (दिदि/ मम/ वववव)	दर जिससे कर काटा गया	कटौती न करने / कम कटौती करने / सकल उच्च / उच्चतर कटौती/ निम्न कटौती के कारण (टिप्पण 1 से 4 देखें)	निर्धारण अधिकारी द्वारा कटौती न करने / निम्न कटौती करने के लिए जारी किए गए प्रमाण पत्र की संख्या	क्या टीडी एस की दर (क) आय कर अधिनि यम डीटीएए (ख) के अनुसार है	विप्रेक्षण की प्रकृति	पत्राचार प्ररूप संख्या 15 ग क की विशिष्ट अभिस्वी कृति, यदि हो	देश, जिसको विप्रेक्षण किया गया है	कटौती दार / आदाता का ई-मेल आईडी	कटौती दार / आदाता का संपर्क नंबर	निवास के देश में कटौतीदार/ आदाता का पता	कटौती दार / आदाता का कर पहचान संख्या/ विशिष्ट पहचान संख्या
[714]	[715]	[716]	[717]	[718]	[719]	[720]	[721]	[721A]	[722]	[723]	[724]	[725]	[726]	[727]	[728]	[729]	[730]	[731]	[732]	[733]	[734]	[735]	[736]	[737]	[738]
1																									
2																									
3																									
कुल																									

सत्यापन

मैं,, सत्यापित करता हूं कि ऊपर दी गई सभी विशिष्टियां सही और पूर्ण हैं।

स्थान:

तारीख :

स्रोत पर कर कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर

स्रोत पर कर कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और पदनाम

टिप्पण:

1. "क" लिखें, यदि धारा 197 के अधीन प्रमाण पत्र के मद्दे "कम कटौती की गई है" या "कटौती नहीं की गई है" ।
2. "ग" लिखें, यदि ग्रेसिंग अप किया गया है ।
3. "घ" लिखें, यदि कटौतीदार/आदाता द्वारा पैन न प्रस्तुत करने के मद्दे उच्च दर पर कटौती की गई है ।
4. "नहीं" लिखें, यदि धारा 194ढ के परंतुक के खंड 4 या खंड 3 में निर्दिष्ट व्यक्ति को रकम संदाय के मद्दे या धारा 194 ढ के परंतुक के खंड (v) के अधीन जारी अधिसूचना के मद्दे कोई कटौती नहीं की गई है ।
5. धारा कोड की सूची निम्न प्रकार से है:

धारा	संदाय की प्रकृति	धारा कोड
192क	कर्मचारी को देय संचित अतिशेष का संदाय	192क
194ड.	अनिवासी खिलाड़ियों/खेल सहयोगनों को संदाय	94ड
194ठख	अवसंरचना ऋण निधि के ब्याज से आय	4ठख
194ठखक	कारबार न्यास की यूनिटों से कतिपय आय	ठखक
194ठखख	विनिधान निधि की यूनिटों की बाबत आय	ठखख
194ठखग	प्रतिभूतिकरण न्यास में विनिधान की बाबत न्यास	ठखग
194ठग	भारतीय कंपनी से ब्याज से आय	4ठग
194ठघ	सरकारी प्रतिभूतियों और कतिपय बॉण्डों पर ब्याज से आय	4ठघ
194ढ	नकद में कतिपय संदाय	94ढ
195	अनिवासियों को संदेय अन्य राशि	195
196क	अनिवासियों की यूनिटों की बाबत आय	96क
196B	ऑफ़शोर यूनिटों की बाबत संदाय	96ख
196ग	अनिवासी भारतीय कंपनी को संदेय विदेशी मुद्रा बॉण्ड या शेयरों से आय	96ग
196घ	विदेशी संस्थागत निवेशकों की प्रतिभूतियों से आय	96घ

6. नियम 37 खग, के अधीन आने वाले कटौतीदारों के मामले में, पैन उपलब्ध नहीं है" उल्लिखित होना चाहिए.

* स्वतः अद्यतन किया जाए।

** दद/मम/वव रूप विधान में।”।

[अधिसूचना सं. 98 /2019/ फा. सं.370142/30/2019 -टीपीएल]

सौरभ गुप्ता, अवर सचिव (कर नीति और विधायन प्रभाग)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना स. सा. का. नि. 836 (अ), तारीख 11/11/ 2019 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए।